# न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

## (पीठासीन अधिकारीः— साँवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

**अपील संख्याः— 5/2016 (18 आयुध अधिनियम 1959 )**

श्रीनिवास पुत्र श्री केसरालाल मीना निवासी जटवाडाकलां पुलिस थाना सूरवाल तहसील सवाईमाधोपुर (राज0)

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर दिनांक 19.10.2015

उपस्थितिः—

1. श्री चन्द्रमोहन गुप्ता वकील अपीलान्ट।

## निर्णय

दिनांकः 04.07.2022

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 19.10.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि श्री श्रीनिवास अपीलान्ट को जिला मजिस्ट्रेट जालोर द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किया गया था। जो जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर कार्यालय में दर्ज नम्बर 340/आरएन/एसडब्लूएम/ 1992 किया जाकर नवीनीकरण किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर से शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण करने के संबध में रिपोर्ट तलब करने पर पुलिस अधीक्षक ने अवगत कराया है कि अनुज्ञाधारी के विरूद्ध अभियोग संख्या 8/84 , 239/85, 359/88, 139/14 दर्ज है इसलिऐ अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की गई। तहत अदालत द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट की छवि को आपराधिक प्रवृर्ति मानते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.10.2015 के तहत अनुज्ञापत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर अनुज्ञापत्र में अंकित शस्त्र को राज्यहित में जमा कराने के आदेश दिये गये है जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रैस्पो0 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

आयुक्त
संभाग, भरतपुर

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में विवाद सम्बन्धी बिन्दु पर बहस करते हुए तर्क दिया कि अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिले मनसूखी है। यह कि अपीलान्ट को जिला मजिस्ट्रेट जालोर द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 302/डीएम/एल/जालोर/ग्राम /1991 दिनांक 11.4.1991 पर 12 बोर डीबीबीएल गन नम्बर 21156/1989 जारी किया हुआ है। जिसको जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा नवीनीकरण किया जाता रहा है। यह कि अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र 31.12.2012 तक पुलिस लाईन सवाईमाधोपुर के शस्त्रागार में जमा करा रखा था तथा वहां से अक्टूबर 2015 में नवीनीकरण हेतु निकलवाया है। यह कि अपीलान्ट को स्वयं व परिवार की सुरक्षा हेतु नवीनीकरण किया जाना न्यायोचित है। तहत अदालत ने अनुज्ञापत्र निरस्त कर कानूनी भूल की है। यह कि आदेश दिनांक 19.10.15 को मुकदमा नं0 8/14 दिनांक 10.1.1984 धारा 451, 336, 323 भादस चार्जशीट नं0 06 दिनांक 21.1.1984 व मुकदमा नं0 239/85 दिनांक 24.7.1985 चार्जशीट नं0 134 दिनांक 31.7.1985 व मुकदमा नं0 389/88 दिनांक 31.1.1988 धारा 307, 447, 323 भादस के उक्त तीनों केसों में दाखी अपीलान्ट न्यायालय से दोषमुक्त किया है इन तीनों केसों में अपीलान्ट को झूठा फंसाया गया था पडोसियों ने रंजिशवश दर्ज कराये थे जिनमें अपीलान्ट को बरी कर दिया गया है। उक्त प्रकरण व अन्य किसी प्रकार का कोई केस अपीलान्ट के विरूद्ध विचाराधीन नहीं है। यह कि उक्त प्रकरण में पुलिस अधीक्षक स0मा0 के यहां से मुकदमें विचाराधीन है टी0आई0 आदेश में अंकित करना रिकार्ड के विपरीत है जबकि कोई भी मुकदमा अपीलान्ट के खिलाफ विचाराधीन नहीं है। यह कि अपीलान्ट के संबंध में आदेश दिनांक 19.10.2015 के मद नं0 4 में दिनांक 2.6.2015 को मुकदमा नं0 139/14 में दोषमुक्त करना लिखा है किसी भी फैसले या निर्णय में ज्यूडिशियल न्यायालय द्वारा यह अंकित नहीं किया है कि शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं किया जावे। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अपीलान्ट अनुज्ञापत्र का आज तक दुरूपयोग नहीं किया गया है अपीलान्ट के नवीनीकरण प्रार्थना पत्र आवेदन में दो वर्ष की देरी को माफ किया जाना न्यायहित में न्यायोचित है। अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। यह कि दिनांक 28.9.2015 को तहत अदालत में अपीलान्ट व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुआ परन्तु अपीलान्ट की सुनवाई नहीं की दिनांक 7.10.2015 को सुना गया। अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई निवेदन किया कि जानमाल की सुरक्षा हेतु अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है क्यों कि अपीलान्ट पर कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है। अपीलाधीन आदेश में मुकदमें विचाराधीन होने का तथ्य रिकार्ड के विपरीत है। तहत अदालत द्वारा आदेश में यह अंकित करना व राय कायम करना कि अपीलान्ट आपराधिक प्रवृत्ति का प्रतीत होता है यह तथ्य गलत है। अपीलान्ट ईमानदार सद चाल चलन का बाल बच्चेदार गृहस्थी काश्तकार है। रंजिशवश जो मुकदमे लगाये थे उनमें दोषमुक्त हो चुका है। यह कि अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निरस्त कर तहत अदालत ने अपीलान्ट के साथ अन्याय कर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है जो काबिले निरस्तनीय है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय मे जिन मुकदमों का उल्लेख किया गया है उन सभी मुकदमों का निर्णय हो गया है तथा सभी प्रकरणों मे अपीलान्ट को दोष मुक्त किया गया है। निर्णय की प्रति तथा अन्य रिकार्ड अदालत हाजा मे पेश किया गया है। अपीलान्ट को गलत तथ्यों के आधार पर आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति माना गया है जबकि सभी मुकदमे आपसी रंजिशवश दर्ज करवाये गये थे। अपीलान्ट को स्वयं की सुरक्षा का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। अपीलाधीन निर्णय से अपीलान्ट उक्त अधिकार से महरूम हुआ है। वकील अपीलान्ट ने 2010(2)WLC(Raj)UC पृष्ठ संख्या 197 पर उद्धरित निर्णय मे प्रतिपादित सिद्धांत का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उक्त नजीर मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह माना है कि अनुज्ञा पत्रधारी के विरूद्ध केवल मुकदमा दर्ज होने के आधार पर ही अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण नहीं रोका जा सकता है। उक्त प्रकरण मे रैस्पोडेन्ट द्वारा 31.12.2012 तक नवीनीकरण किया गया है। अपीलाधीन आदेश मे जिन प्रकरणों का हवाला दिया गया है वे वर्ष 2012 से पूर्व के है तथा एक प्रकरण जो कि वर्ष 2014 का था उसमे दोषमुक्त कर दिया गया है। इसके बावजूद रैस्पोन्डेन्ट ने उक्त तथ्यों की जाँच नही करवाकर पुलिस अधीक्षक से प्राप्त हुई रिपोर्ट को आधार मानकर बिना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किये यंत्रवत आदेश पारित किया है जोकि उक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धांत के परिपेक्ष्य में भी उचित नहीं है। अपीलान्ट से किसी तरह की कोई आम शांति व आम सुरक्षा का खतरा नहीं है।

अपीलाधीन आदेश की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी दिनांक 24.11.2015 को पुलिस के द्वारा बताने पर जानकारी हुई। उसी दिन अपीलान्ट ने नकल के लिये आवेदन किया। नकल दिनांक 3.12.2015 को प्राप्त हुई। इसलिऐ अपील होने जानकारी अन्दर मियाद पेश की गई है जिसके लिये धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ संलग्न है। इसके विरूद्ध कोई काउन्टर शपथ पत्र रैस्पोडेन्ट की ओर से पेश नहीं किया गया है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि तहत अदालत का निर्णय विधि सम्मत् नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल करने के आदेश दिये जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि:–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large

"Would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा आर०बी०जे० (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि "Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

उक्त प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा मेमो आफ अपील के साथ दफा लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 24.11.2015 को पुलिस द्वारा बताने पर हुई। अपीलाधीन निर्णय सम्बन्धी मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रैस्पोन्डेन्ट जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय उक्त प्रकरण में दिनांक 07.10.2015 को सुनवाई की गई थी। उक्त सुनवाई में स्वयं अपीलान्ट भी उपस्थित रहे हैं तथा रैस्पोन्डेन्ट जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर द्वारा ये आदेश दिया गया है कि "प्रार्थी उपस्थित" सुना गया प्रार्थी के विरूद्ध तीन मुकदमे विचाराधीन हैं। अतः इन मुकदमों के मध्यनजर पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर अनुज्ञापत्र नवीनीकरण उचित नहीं है। प्रार्थी हथियार थाने में जमा करे।

उक्त आदेशिका में स्वयं अपीलान्ट के भी हस्ताक्षर हैं। अतः अपीलान्ट का यह कथन कि उसे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 24.11.2015 को पुलिस के द्वारा बताने पर हुई, मानने योग्य नहीं है। परन्तु रैस्पोन्डेन्ट जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर द्वारा विस्तृत आदेश दिनांक 19.10.2015 को ही जारी किया गया है। उक्त आदेश की अपील अन्दर मियाद पेश की जानी थी जोकि अपीलान्ट द्वारा विलम्ब से पेश की गई है। इस सम्बन्ध में दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र अपील में पेश किया गया है। जिसमें कोई प्रतिवाद रैस्पोन्डेन्ट की ओर से नहीं किया गया है। इसलिए उपरोक्त नजीरों में वर्णित प्रतिपादित सिद्धांतों से सादर सहमत होते हुए मियाद सम्बन्धी बिन्दु पर अपील को खारिज नहीं कर मियाद सम्बन्धी बिन्दु पर उदार रूख रखते हुए गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित मानते हैं।

जहाँ तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलाधीन निर्णय सम्बन्धी मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रैस्पोन्डेन्ट जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने व पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है तथा अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज 3 मुकदमे जिनके लम्बित होने के आधार पर अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया है, के सम्बन्ध में वकील अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील के लम्बित रहने के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज रजिस्टर मुकदमात नम्बरी फौजदारी प्रकरण संख्या 239 / 85 व 8 / 84 व प्रकरण संख्या 277 / 2014 में पारित निर्णय दिनांक 02.06.2015 की प्रति पेश की है जिसके अनुसार दो प्रकरणों में बरी तथा एक प्रकरण में जुर्म स्वीकार किये जाने पर परीवीक्षा का लाभ दिया गया है, के सम्बन्ध में पुर्नविचार किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है क्योंकि विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा बहस में वर्णित नजीर 2016(2)WLC(Raj)UC 19 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार नवीनीकरण अवधि में प्रार्थी के विरूद्ध कोई सामग्री नहीं होने व पूर्व के मामले में समझौते के आधार पर हुई दोष मुक्ति के पश्चात अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण किये जाने का आदेश पारित किया गया है। अतः उक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिपेक्ष्य में हम अपीलाधीन निर्णय को उचित नहीं मानते है। यद्यपि अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत ने नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में उसके विरूद्ध प्रकरण लम्बित होने के तथ्यों को छुपाया गया है तथा अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण चाहे जाने की अवधि में भी प्रकरण संख्या 139 / 14 दिनांक 06.08.2014

को दर्ज होने पर भी इसे शपथ पत्र में नहीं दर्शाया जो कि अपीलान्ट के आचरण को संदिग्ध बनाता है। तथापि अपील के दौरान अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण में पुनः परीक्षण कर नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने हेतु हम उक्त प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर को भिजवाया जाना उचित मानते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.10.2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट के विरूद्ध लम्बित प्रकरणों में अद्यतन स्थिति के बारे में पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर से पुनः रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलान्ट के जारी अनुज्ञा पत्र के सम्बन्ध में लोकशांति व लोकसुरक्षा के सम्बन्ध में पूर्ण जॉच करने व अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 2016(2)WLC(Raj)UC page 197 पर उद्धरत निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के तहत पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पुनः निर्णय होने तक अपीलान्ट को जारी अनुज्ञा पत्र में दर्ज शस्त्र सम्बन्धित पुलिस थाना में जमा रखा जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4.7.2022

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर